माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

2. हमारी सरकार ने तीन साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस अवधि में राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है।

3. भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश, विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी एवं आदर्श राज्य बन कर उभरा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश द्वारा अर्जित प्रगति एवं उपलब्धियों को दर्शाते हैं।

4. राज्य सरकार ने न केवल गत विधान सभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए लगभग सभी वायदे पूरे किए हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर विकास की गति को और तीव्र करते हुए, जन कल्याण के नये कार्यक्रम व महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। **सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य** सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र हैं तथा **स्वरोज़गार, स्वावलम्बन और स्वाभिमान** हमारी सरकार का ध्येय है।

5. विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उच्च विकास के स्तर को बनाए रखने के लिए मैं इस मान्य सदन के समर्थन तथा मार्गदर्शन का आग्रह करता हूं, ताकि आने वाले वर्षों में हम और बेहतर कार्य कर सकें।

आर्थिक परिदृश्य

6. हाल ही में संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2009–10 में 8 प्रतिशत राष्ट्रीय विकास दर के मुकाबले, वर्ष 2010–11 में, विकास दर बढ़कर 8.6 प्रतिशत होने की सम्भावना है। जहां यह आर्थिकी में परिवर्तन का संकेत है, वहीं बढ़ती मुद्रास्फीति गम्भीर चिन्ता का विषय है। वर्ष 2009–10 में 3.6 प्रतिशत औसत मुद्रास्फीति की तुलना में वर्ष 2010–11 में इसके लगभग 9 प्रतिशत होने

का अनुमान है। यद्यपि, केन्द्रीय बजट में, वर्ष 2010–11 के दौरान वित्तीय घाटा GDP का 5.1 प्रतिशत दर्शाया गया है, जो बजट अनुमान से बेहतर है, परन्तु अत्याधिक चालू लेखा घाटा (Current Account Deficit) एक चिन्तनीय विषय है।

राज्य का वित्तीय परिदृश्य

7. गत वर्ष के बजट अभिभाषण में, मैंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर 13वें वित्तायोग की सिफारिशों के प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया था। तदोपरांत, मान्य सदन में इस विषय पर समय–समय पर चर्चा होती रही है। 13वें वित्तायोग की वित्तीय संस्तुतियों पर प्रदेश सरकार के सतत् आग्रह के दृष्टिगत, भारत सरकार ने योजना आयोग में विशेष श्रेणी राज्यों की योजना के वित्तीय पोषण की समस्याओं के उचित समाधान के लिए एक समूह का गठन किया है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस समूह की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए और इस विषय पर तुरन्त यथोचित कार्यवाही की जाए। इस विकट स्थिति से निपटने हेतु हमने भारत सरकार से, राज्य सरकार को ₹2500 करोड़ का विशेष वित्तीय पैकेज देने का आग्रह किया है।

8. यद्यपि, 13वें वित्तायोग की सिफारिशों का राज्य की वित्तीय स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा है, फिर भी विवेकपूर्ण वित्त प्रबंधन द्वारा हमने अपने वित्त संसाधनों की कुशल व्यवस्था सुनिश्चित की है। हमने अपने वित्तीय ऋण को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही रखा है। हमने यह लगातार सुनिश्चित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हमारे पर्याप्त कैश बेलैंस बने रहें तथा हमें किसी प्रकार के अग्रिम अर्थोपाय (Ways & Means) अथवा ओवर ड्राफ़्ट के

लिए रिज़र्व बैंक का सहारा न लेना पड़े। वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, हमारे वित्तीय घाटे के GSDP के 3.47 प्रतिशत रहने की सम्भावना है, जोकि 5.08 प्रतिशत के बजट अनुमान से कम है। वर्ष 2010–11 के लिए, राष्ट्रीय GDP की 8.6 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि के मुकाबले, हमारे GSDP में 9 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है। भारी वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद, यह आंकड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के प्रतीक हैं।

मुद्रास्फीति व राज्य खाद्यान्न उपदान

9. खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि चिन्ता का विषय है। 25 दिसम्बर, 2010 को खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर 18.32 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। हालांकि, हाल ही में 19 फरवरी, 2011 को यह दर कम होकर 10.39 प्रतिशत पर पहुंची है, यह फिर भी बहुत अधिक है। 2011–12 के केन्द्रीय बजट में खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर को कम करने बारे कोई ठोस नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि केन्द्र सरकार इस विषय को गम्भीरता से लेगी तथा इस बारे शीघ्र यथोचित कार्रवाई करेगी।

10. मुद्रास्फीति के कारण खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों से, आम आदमी को कुछ हद तक बचाने का एक उपाय यह है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर परिवारों को उनकी वास्तविक मांग के आधार पर आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान कर, इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए। यह खेद का विषय है कि हमारे निरन्तर प्रयासों के बावजूद, केन्द्र सरकार राज्य के लिए खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी तेल की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार नहीं कर रही है।

11. प्रदेशवासियों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए हमारी सरकार अपने स्तर पर हर सम्भव प्रयास करने के प्रति वचनबद्ध है। राज्य में यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में फलों एवं सब्ज़ियों की बिक्री को VAT के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं पर मात्र 4 प्रतिशत वैट का ही प्रावधान है। प्रदेश में मण्डी–शुल्क मात्र एक प्रतिशत है, जोकि देश भर में सबसे कम है। प्रदेश सरकार दालों, खाद्य तेलों तथा नमक को राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है।

वार्षिक योजना 2011–12

12. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूं कि वित्तीय कठिनाईयों को प्रदेश के तीव्र विकास में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं इस बात का प्रमाण है कि, हमारी सरकार प्रदेश के लोगों से किए वायदों को पूरा करने के प्रति कटिबद्ध है।

13. वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, हमारी सरकार ने वार्षिक योजना आकार को चालू वित्तीय वर्ष के ₹3000 करोड़ की तुलना में, वर्ष 2011–12 के लिए, ₹3300 करोड़ किया है।

14. आगामी वर्ष के लिए क्षेत्रवार प्राथमिकताओं को मान्य सदन के माननीय सदस्यों के साथ 27 तथा 28 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठकों में दिए गए सुझावों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

15. वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में ऊर्जा, सड़क, पर्यटन जैसे अधोसंरचना क्षेत्रों तथा बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। आगामी वर्ष के दौरान प्रदेश में कृषि, पर्यटन तथा पर्यावरण क्षेत्रों में नई बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के लाभों को और पुष्ट किया जाए। प्रदेश में उन निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो शीघ्र पूरे होने वाले हैं। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धन के प्रभावी उपयोग पर और अधिक बल दिया जाएगा।

16. अध्यक्ष महोदय, अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी मुख्य उपलब्धियों तथा कार्य नीतियों को रेखांकित करूंगा।

कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध गतिविधियां

17. हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध क्षेत्र, जीवन–यापन के मुख्य घटक हैं, क्योंकि प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या इन पर निर्भर है। हमारी सरकार, अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, कृषि आय में वृद्धि तथा ग्रामीण आर्थिकी में समृद्धि लाने के प्रति वचनबद्ध है। गत दो वर्षों से क्रियान्वित की जा रही महत्वाकांक्षी **'पंडित दीन दयाल किसान–बागवान समृद्धि'** योजना, कृषि विविधता में मूक क्रांति ला रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान यह परियोजना छोटे एवं सीमांत किसानों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों पर केन्द्रित रहेगी।

18. जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजैंसी के माध्यम से वित्तपोषित **'कृषि विविधता प्रोत्साहन'** परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है तथा इसे वर्ष 2011–12 में

आरम्भ किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹321 करोड़ है तथा इसे सात वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से जल संग्रहण, सिंचाई, जैविक कृषि, फसलोपरान्त प्रबंधन, खेत–खलिहानों तक सड़कों की पहुंच तथा संस्थागत प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

19. हमारी सरकार का यह मानना है कि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसानों को बेहतर विपणन सुविधा भी मिलनी चाहिए। शिमला जिला के पराला में सेब तथा सब्जियों की थोक बिक्री मण्डी की स्थापना की जाएगी। निचले क्षेत्रों में भी, नींबू प्रजाति के फलों के लिए, थोक बिक्री मण्डी स्थापित की जाएगी। कृषकों की आवश्यकता अनुसार उप–मार्किट यार्ड तथा प्रापण केन्द्रों को विकसित किया जाएगा।

20. वर्ष 2011–12 में राज्य में, एक जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी की स्थापना की जाएगी। हम मिट्टी की जांच की क्षमता को और सुदृढ़ करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, वर्ष 2012 के अंत तक, प्रदेश के सभी किसानों के पास Soil Health Cards उपलब्ध हों।

21. प्रदेश में 37 प्रकार के फलों की खेती की जा रही है। प्रतिवर्ष लगभग 4000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी के अधीन लाया जा रहा है। आने वाले वर्ष में 1000 हैक्टेयर क्षेत्र को सेब पुनर्रोपण परियोजना, जिसे वर्तमान वर्ष से आरम्भ किया गया है, के अन्तर्गत लाया जाएगा। वर्ष 2011–12 के दौरान चिन्हित सरकारी बागीचों को 'Centres of Excellence' के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि फल उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में गुणात्मक 'germplasm'

उपलब्ध हो सके तथा बागवानों को खेती की नई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। औषधीय पौधों तथा पपीता, अनार, कीवि एवं स्ट्राबेरी जैसे फलों को प्रोत्साहन देकर बागवानी विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

22. डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा नेरी, हमीरपुर में **'जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विज्ञान संस्थान'** आरम्भ किया जाएगा। यह संस्थान चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा तथा इस संस्थान द्वारा बागवानी, पर्यावरण प्रबंधन, जैव–प्रौद्योगिकी, माइक्रो–बायोलॉजी तथा खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्नातक स्तर के डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। इस संस्थान को self-financing आधार पर विकसित किया जाएगा तथा शैक्षणिक सत्र 2011–12 से दो डिग्री पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया जाएगा।

23. **'मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन'** योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध ढंग से ऐसी सभी ग्राम पंचायतों में एक पशु औषधालय खोला जाएगा, जहां अभी तक कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। ऐसी 1272 पंचायतों को चिन्हित किया गया है तथा अभी तक 187 नए पशु औषधालय खोले जा चुके हैं। 900 प्रशिक्षुओं को वेटेनरी फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा 2011–12 में 470 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व में, प्रदेश में कभी भी योजनाबद्ध रूप में इतनी भारी संख्या में फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

24. प्रदेश में पशुधन सुधार एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, **'भ्रूण हस्तांतरण तकनीक' (Embryo Transfer Technology)** को अपनाया जाएगा। पालमपुर में ₹2.90 करोड़ की लागत से एक भ्रूण हस्तांतरण तकनीक प्रयोगशाला

स्थापित की जाएगी। ₹10 करोड़ की अनुमानित लागत से पालमपुर में एक उन्नत बहुविधीय पशु चिकित्सा सेवाएं एवं कृषक क्षमता निर्माण केन्द्र की भी स्थापना की जाएगी। हि0प्र0 दुग्ध परिसंघ द्वारा रामपुर में ₹2.90 करोड़ की लागत से सूखे दूध पाऊडर बनाने के संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

25. गौ सदनों के संचालन में मंदिर न्यासों की सहभागिता के हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं तथा इसमें कांगड़ा, ऊना एवं हमीरपुर जिलों के मंदिर न्यासों ने अग्रणीय भूमिका निभाई है। बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए **'मवेशी पंजीकरण योजना'** का प्रदेश के शेष छः जिलों में भी विस्तार किया जाएगा।

जलागम विकास

26. जलागम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख 37 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹356 करोड़ से अधिक लागत की 44 नई परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में स्वीकृत किया गया है। जलागम विकास कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी जिलों में एक बहुविधा परियोजना कार्यान्वयन एजैंसी (Project Implementing Agency) की स्थापना की जाएगी।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

27. हमारी कृषि आधारित आर्थिकी, उच्च उत्पादकता का स्तर तभी प्राप्त कर सकती है, जब हम आवश्यक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता प्रदान करें। 31 जनवरी, 2011 तक 2.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं के अधीन लाया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ₹180.65 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, वृहद एवं मध्यम

सिंचाई परियोजनाओं के तहत ₹109.97 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2011–12 के दौरान 7000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।

28. शाह नहर परियोजना के मार्च, 2012 तक पूरा होने की सम्भावना है, जिसके लिए ₹35 करोड़ आबंटित किए गए हैं। बल्ह घाटी (लेफ्ट बैंक) परियोजना मार्च, 2012 तक पूरी हो जाएगी, जिसके लिए ₹17 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। 'सिद्धाता' परियोजना के लिए ₹17.97 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित है। इस परियोजना के जून, 2012 तक पूरा होने की सम्भावना है। जिला बिलासपुर में चंगर क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना को मार्च, 2011 के अंत तक पूरा किया जाएगा। फिना सिंह परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इस योजना पर कार्य वर्ष 2011–12 में शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। नादौन परियोजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इस परियोजना पर कार्य भी वर्ष 2011–12 में शुरू किया जाएगा।

29. बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए ₹99.54 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। स्वां तटीयकरण चरण–II परियोजना को ₹35 करोड़ आबंटित कर मार्च, 2012 तक पूरा कर दिया जाएगा। कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹10 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित है। सीर खड्ड के तटीयकरण के लिए ₹3.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास/ पंचायतें

30. मनरेगा (MNREGA) के अन्तर्गत जनवरी, 2011 तक, 10 लाख 11 हजार ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी लगभग 55 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदेश में ₹600 करोड़ से अधिक व्यय होने की सम्भावना है। वर्ष 2011–12 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यों के नियोजन एवं समीक्षा हेतु 'Geographical Information System' आधारित प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी।

31. वर्तमान में, प्रदेश में ₹3 करोड़ की लागत से दो दक्षता विकास परियोजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। जनवरी, 2011 तक, 547 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 372 को रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में ऐसी और परियोजनाऐं चलाई जाएंगी। वर्ष 2011–12 के दौरान **'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'** तथा **'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना'** आरम्भ की जाएंगी।

32. वर्ष 2010–11 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में **'अटल आवास योजना'** तथा **'इंदिरा आवास योजना'** के अन्तर्गत 9789 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में, इन कार्यक्रमों के लिए राज्य योजना में ₹17.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

33. स्वच्छ पर्यावरण एवं सफाई, सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अब तक प्रदेश में लगभग 9 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्त तक, प्रदेश शत प्रतिशत तौर पर बाह्य शौचमुक्त

राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा। वर्ष 2011–12 के दौरान ठोस व तरल कचरा प्रबन्धन तथा बाह्य शौचमुक्त स्थिति की निरन्तरता को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

34. हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है, क्योंकि हम इन्हें स्थानीय शासन की मूल इकाइयां समझते हैं। हाल ही में सम्पन्न हुए पंचायती राज चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण तथा महिलाओं के आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने से, अनेक नव–निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायती राज प्रणाली में पहली बार आए हैं। प्रदेश सरकार ने नव–निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा इन संस्थाओं के पदाधिकारियों को समयबद्ध रूप से प्रशिक्षित करने के लिए एक वृह्द्ध योजना तैयार की है।

35. पंचायत समितियों द्वारा नियुक्त '**तकनीकी सहायक**' पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं। इन्हें कमीशन के आधार पर, न्यूनतम ₹2500, मासिक आय सुनिश्चित की गई है। हमने निर्णय लिया है कि आठ वर्ष से कम अवधि के सूचीबद्ध तकनीकी सहायकों की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक राशि को बढ़ाकर ₹4000 तथा आठ वर्ष से अधिक कार्यकाल के तकनीकी सहायकों की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक राशि को ₹5000 किया जाएगा। यह वृद्धि प्रथम अप्रैल, 2011 से लागू होगी।

36. पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाऐं मानदेय में वृद्धि की मांग करती रही हैं। हमने इससे पहले भी अप्रैल, 2008 में उनके मानदेय को ₹900 से बढ़ाकर ₹1100 मासिक किया था। प्रथम अप्रैल, 2011 से इस मानदेय में और बढ़ौतरी कर इसे

₹1400 मासिक करने का निर्णय लिया गया है।

37. पिछले कई वर्षों से, राज्य सरकार व भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, कृषि, पशु पालन, बागवानी इत्यादि में कई विकास योजनाएं शुरू की हैं। ऐसा पाया गया है कि विभिन्न विकास योजनाओं की सही जानकारी ग्रामीण व दूर–दराज़ क्षेत्रों में ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः हमने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में एक **'विकास मित्र'** उपलब्ध होगा जो सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण समन्वयक (Information, Education and Communication Coordinator) के रूप में कार्य करेगा।

ऊर्जा

38. हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध लगभग 23,000 मैगावाट जल विद्युत क्षमता में से अब तक 6728 मैगावाट का दोहन किया जा चुका है। जल विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने वाला हिमाचल एक अग्रणी राज्य है। वर्तमान वर्ष में 1385 मैगावाट क्षमता की 18 जल विद्युत परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से आबंटित करने के लिए विज्ञापित किया गया है। इस दिशा में हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इन परियोजनाओं का शीघ्र आबंटन किया जाएगा।

39. जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की गई है, ताकि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। वर्ष 2011–12 के अन्त तक, केन्द्रीय क्षेत्र की दो परियाजनाओं चमेरा–III (231 मैगावाट), पार्वती–III (520 मैगावाट); निजी

क्षेत्र में पांच मैगावाट से अधिक क्षमता की 8 परियोजनाओं–1000 मैगावाट कड़छम–वांगतू, 100 मैगावाट मलाना–II, 70 मैगावाट बुधिल, 24 मैगावाट कुट, 15 मैगावाट न्योगल, 14 मैगावाट सुमेज, 12 मैगावाट अप्पर ज्वाइनर, 9 मैगावाट ब्यास कुण्ड; राज्य क्षेत्र की तीन परियोजनाओं – 10 मैगावाट घानवी, 4.5 मैगावाट भावा–सम्वर्धन तथा 6 मैगावाट बस्सी सम्वर्धन तथा कुल 91 मैगावाट क्षमता की अनेक छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर उत्पादन आरम्भ होने से हमारी मौजूदा उत्पादन क्षमता में 2106 मैगावाट की वृद्धि होने की सम्भावना है।

40. वर्ष 2011–12 के लिए ऊर्जा क्षेत्र हेतु ₹461.60 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है, जोकि वर्ष 2010–11 के परिव्यय से ₹107.23 करोड़ अधिक है।

सड़कें

41. सड़कें प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में सड़क नैटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना के तहत उपलब्ध धन राशि, जिसमें विश्व बैंक, नाबार्ड व Central Road Fund के अन्तर्गत परियोजनाएं शामिल हैं, के अतिरिक्त PMGSY के तहत प्राप्त धनराशि तथा राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए प्राप्त निधि का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य मंत्री स्तर पर ऐसे मामलों की समीक्षा की जाती है।

42. वर्ष 2011–12 में 450 कि.मी. मोटर योग्य सड़कों तथा 32 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 650 कि.मी. सड़कों को पक्का किया जाएगा तथा 460 कि.मी. सड़कों पर Cross Drainage सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 900 कि.मी. सड़कों की Renewal Tarring का कार्य किया जाएगा।

43. वर्तमान वर्ष में लगभग 30 टन एकत्रित प्लास्टिक कचरे से 42 कि0मी0 सड़कों को पक्का किया गया है। वर्ष 2011–12 में 150 कि0मी0 सड़कों को पक्का करने के लिए प्लास्टिक कचरे का प्रयोग किया जाएगा।

44. राज्य के 31000 कि0मी0 से अधिक के सड़क नैटवर्क को सुदृढ़ करना व शेष बचे गांवों को निर्धारित अवधि में सड़क सुविधा से जोड़ना, सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्ष 2011–12 के दौरान चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

45. मैं, वर्ष 2011–12 के लिए **'सड़कों एवं पुलों'** के अन्तर्गत ₹603.68 करोड़ का योजना परिव्यय प्रस्तावित करता हूं, जोकि वर्ष 2010–11 के परिव्यय से ₹73.68 करोड़ अधिक है।

पथ परिवहन/रेलवे

46. भारत सरकार ने आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए ₹14 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यह संस्थान सरकाघाट में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने ₹14.15 करोड़ से एक निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना को भी स्वीकृत किया है। यह केन्द्र तारादेवी में स्थापित किया जाएगा।

47. राज्य के अधिक दुर्घटना सम्भावित सड़क स्थलों पर Steel Crash Barrier लगाने तथा पैरापिटों को सृदृढ़ करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2011–12 में ऐसे 170 स्थलों के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार Crash Barrier लगाना

भी शामिल है। इस उद्देश्य पर वर्ष 2011–12 में ₹31.25 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

48. वर्ष 2011–12 के रेल बजट में, नंगल–तलवाड़ा रेल लाईन के लिए भारत सरकार ने मात्र ₹23 करोड़ का आबंटन किया है, जबकि वर्ष 2010–11 के बजट में इसके लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान था। भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाईन के वित्तपोषण की हिस्सेदारी का मामला अभी भी भारत सरकार द्वारा सुलझाया जाना शेष है। सामरिक महत्व के दृष्टिगत, इस प्रस्तावित रेल लाईन का विस्तार लेह तक करने की विधि के बारे में भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश सरकार ने इन मुद्दों के शीघ्र समाधान का मामला योजना आयोग तथा भारत सरकार के साथ अनेकों बार उठाया है। प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है।

जलापूर्ति एवं मल निकासी

49. प्रदेशवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जनवरी, 2011 तक 39,893 बस्तियों को '**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल**' योजना के अन्तर्गत पेयजल सुविधा प्रदान की गई है और 13,312 बस्तियों को इस सुविधा के अन्तर्गत लाना अभी शेष है। वर्ष 2011–12 के दौरान 2500 बस्तियों को यह सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–12 में पेयजल सुविधा को सुदृढ़ करने हेतु 2500 हैंडपम्प लगाए जाएंगे। नाहन के लिए शहरी पेयजल योजना के सम्वर्धन कार्य को अगले वर्ष शुरू किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि राज्य के सभी परिवारों को चरणबद्ध ढंग से पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाए।

50. हमारी सरकार ने पंचायतों को 21734 हैंडपम्प हस्तांतरित करने का नीतिगत निर्णय लिया है तथा पंचायतों को इन हैंडपम्पों की मुरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्रति हैंडपम्प ₹200 प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। हमने जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव कार्यों में पंचायतों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। विभाग में ऐसी 7940 योजनाएं हैं। इन योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन को चरणबद्ध रूप से पंचायतों को सौंपा जाएगा। पंचायतों द्वारा इस कार्य हेतु 'जल रक्षक' नियुक्त किए जाएंगे।

51. वर्ष 2011–12 के दौरान मल निकासी योजना के अन्तर्गत, लगभग पूर्ण होनी वाली योजनाओं को पूरा करने तथा मल निकासी लाईनों से घरों को जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी वर्ष के लिए पेयजल एवं मल निकासी योजनाओं के लिए ₹224.50 करोड़ का योजना परिव्यय प्रस्तावित है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

52. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के उपेक्षित एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत ₹816.00 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।

53. सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत अगले वर्ष 25,000 अतिरिक्त पात्र आवेदकों को पैंशन सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि कोई भी पैंशन मामला लम्बित न रहे तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को पैंशन लाभ के लिए इंतज़ार न करना पड़े।

54. चालीस प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व जन जाति जनसंख्या वाले गावों के एकीकृत विकास के लिए **'मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना'** शुरू की जाएगी। इस

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान 136 गावों में समन्वित रूप से सड़क नैटवर्क, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं स्ट्रीट लाईटस जैसी आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के दो गांवों को यह लाभ प्राप्त हो सके।

55. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं को ईंधन लकड़ी एकत्रित करने जैसे कड़ी मेहनत के कार्यों से छुटकारा दिलाने के लिए हमने एक नई **'माता शबरी महिला सशक्तिकरण'** योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत इन महिलाओं को एलपीजी गैस कुनैक्शन एवं स्टोव खरीदने हेतु 50 प्रतिशत उपदान राशि प्रदान की जाएगी। इससे पर्यावरण के सुधार में भी सहायता मिलेगी। वर्ष 2011–12 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 5000 परिवारों को सहायता प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

56. **'राजीव गांधी स्कीम फॉर ईम्पावरमैंट ऑफ एडोलसैंट गर्ल्ज़' (SABLA)** को भारत सरकार द्वारा चयनित सोलन, कांगड़ा, कुल्लू व चम्बा जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत ICDS नैटवर्क के माध्यम से किशोरियों को एकीकृत पैकेज़ सेवाऐं जैसे Iron-Folic Acid युक्त पूरक पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवसायिक एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण तथा referral सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

57. हमने राज्य में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कल्याणार्थ एक नई नीति स्वीकृत की है। इस नीति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ऐसा समावेशी एवं समर्थ समाज प्रतिस्थापित करना है, जिसमें अक्षम व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के

पर्याप्त अवसर मिल सकें और समाज में हर स्तर पर इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनी रहे।

58. समाज के निर्धन वर्ग के समग्र विकास हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम राज्य में सामान्य वर्ग के निर्धनों के कल्याण हेतु **'सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग'** के गठन पर विचार करेंगे।

59. अगले वर्ष से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों में Gender Responsive Budgeting को क्रियान्वित करने के लिए उचित कार्यप्रणाली स्थापित की जाएगी।

जनजातीय विकास

60. हमारी सरकार जनजातीय लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति वचनबद्ध है। वर्ष 2011–12 के दौरान जनजातीय उपयोजना के लिए ₹297.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 में किन्नौर तथा लाहौल–स्पीति जिलों के सीमावर्ती खण्डों में सड़कों एवं पुलों तथा विद्युत संरचना के सुधार हेतु 13वें वित्तायोग द्वारा स्वीकृत ₹12.50 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी।

61. वर्ष 2011–12 में पांगी–भरमौर तथा स्पीति में, एक–एक आवासीय एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 2011–12 में जनजातीय महिलाओं के लिए ₹1.65 करोड़ की लागत से चालीस नए हथकरघा एवं हस्त बुनाई केन्द्र खोले जाएंगे।

शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

62. हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया है। राज्य सरकार सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने

हेतु प्रयासरत है। वर्ष 2011–12 में शिक्षा क्षेत्र के लिए योजना मद के अन्तर्गत ₹307.01 करोड़ तथा गैर योजना में ₹2857.53 करोड़, यानि कुल ₹3164.54 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में ₹597.54 करोड़ अधिक है।

63. राज्य के 628 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण–अध्ययन गतिविधियों को सुधारने एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से Information Communication Technology परियोजना चलाई जा रही है। वर्ष 2011–12 में इस परियोजना के अन्तर्गत 618 अतिरिक्त विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। विद्यालय से निकलने के बाद विद्यार्थियों को रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के दृष्टिगत वर्ष 2011–12 में 63 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जिला स्तर पर 10 राजकीय महाविद्यालयों को बेहतर संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवा कर इन्हें Centre of Excellence के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। समस्त महाविद्यालयों में Career Counselling एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

64. हालांकि, सरकार ने पूरे राज्य में बहुत अधिक संख्या में विद्यालय खोले हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुंचने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने हेतु हमने निर्णय लिया है, कि जो विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय जाने हेतु 5 से 8 कि0मी0 तक की दूरी तय करते हैं, उन्हें ₹200 प्रति माह तथा 8 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करने वाले विद्यार्थियों को ₹300 प्रति माह **प्रोत्साहन**

छात्रवृति के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों को, विद्यालय में उनकी पिछले मास की उपस्थिति के अनुपात में दी जाएगी।

65. वर्ष 2001 के उपरान्त नियुक्त किए गए अंशकालिक जल वाहकों का मानदेय हमारी सरकार ने प्रथम नवम्बर, 2008 को ₹750 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह किया था। हमने प्रथम अप्रैल, 2011 से इस मानदेय को बढ़ाकर ₹1200 मासिक करने का निर्णय लिया है। इससे 7323 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे।

66. शिक्षा विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्यरत अध्यापक काफी समय से अवकाश अवधि के वेतन की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में पैरा–अध्यापक, प्रारम्भिक सहायक अध्यापक और ग्रामीण विद्या उपासक भी कार्यरत हैं, जो वर्तमान नीति के अन्तर्गत अवकाश अवधि के वेतन के पात्र नहीं हैं। हमने इस मामले पर गहनता से विचार किया है और निर्णय लिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से अनुबंध अध्यापक, पैरा अध्यापक, प्रारम्भिक सहायक अध्यापक तथा ग्रामीण विद्या उपासक, अवकाश अवधि के वेतन के हकदार होंगे। इससे 5431 अनुबंध अध्यापकों, 3582 प्राथमिक सहायक अध्यापकों, 1322 ग्रामीण विद्या उपासकों तथा 2050 पैरा अध्यापकों को अब 52 दिन की वार्षिक अवकाश अवधि का वेतन मिलेगा। इस प्रकार कुल 12385 ऐसे अध्यापकों को लगभग ₹25 करोड़ का वार्षिक वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।

67. ग्रामीण विद्या उपासक, आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष का

सेवाकाल पूरा करने वाले विद्या उपासकों को नियमित कर दिया जाएगा।

68. वर्ष 2011–12 में 5000 नये स्नातकोत्तर अध्यापकों (PGT), स्नातक अध्यापकों (TGT) तथा C &V अध्यापकों की भर्ती की जाएगी।

69. प्रारम्भिक सहायक अध्यापक, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने की मांग भी करते रहे हैं, ताकि वे JBT के पद के लिए पात्र हो सकें। हमने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत 3582 प्रारम्भिक सहायक अध्यापकों को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाहन बेहतर तरीके से कर सकें।

70. प्रदेश में जिन विद्यालयों के भवन जीर्ण अवस्था में हैं, ऐसे भवनों को असुरक्षित घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया को सरल कर ऐसे भवनों को असुरक्षित घोषित करने की शक्तियां विभागाध्यक्षों तथा सम्बन्धित जिला के उपायुक्तों को प्रदान की जाएंगी। विद्यालय भवनों के उचित रख–रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

71. हमारी सरकार के कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा को विशेष बढ़ावा मिला है। हमीरपुर में स्थापित नये तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2011–12 से राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर में रासायनिक इंजीनियरिंग में B.Tech. पाठ्यक्रम को शुरू किया जाएगा। घुमारवीं तथा संधोल में शैक्षणिक सत्र 2011–12 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किए जाएंगे। राज्य में आई.आई.आई.टी. (IIIT) स्थापित करने के मामले को हम भारत सरकार के समक्ष गम्भीरता से उठा रहे हैं।

72. राज्य सरकार ने शिमला जिला के प्रगतिनगर में **'अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान'** स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान पंजाब में स्थित संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की तर्ज़ पर कार्य करेगा। यह संस्थान, तकनीकी शिक्षा में, सर्टीफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री courses प्रदान करेगा। यह संस्थान, मुख्य रूप से, उन पाठ्यक्रमों पर केन्द्रित होगा जिनका अनुसरण करने पर, विद्यार्थियों को, जल विद्युत परियोजनाओं में रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। इस संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2011–12 से, तीन ट्रेडों में सर्टीफिकेट स्तर एवं दो ट्रेडों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद

73. अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सूचक देश भर में सर्वश्रेष्ठ सूचकों में से हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में अनेक नई पहल की हैं। प्रदेश में **'अटल स्वास्थ्य सेवा'** के अन्तर्गत आपात स्थिति में 108 नं0 डॉयल कर निःशुल्क एम्बुलैंस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रशिक्षित श्रम शक्ति एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एम्बुलैंस सेवा 24 घण्टे उपलब्ध रहती है। यह सेवा अभी तक दस जिलों में उपलब्ध है तथा अब इसका पूरे राज्य में विस्तार कर, एम्बुलैंस की कुल संख्या को बढ़ाकर 108 किया जा रहा है।

74. **'मातृ सेवा योजना'** को परिवहन सहायता के लिए **'अटल स्वास्थ्य सेवा'** के साथ जोड़ा गया है, जिससे संस्थागत प्रसूति दर 52 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है तथा इसके 75 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है। संस्थागत प्रसूति अस्पतालों

की संख्या को 75 से बढ़ाकर 100 किया जाएगा। हमें आशा है कि राज्य में संस्थागत प्रसूति दर में वृद्धि होने से शिशु–मृत्यु दर और मातृ–मृत्यु अनुपात में भारी कमी आएगी।

75. नवजात शिशु के जीवन के शुरूआती महीने उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दौरान बहुत से बच्चे अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तथा उनकी समय पर देखभाल करना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। हम वर्ष 2011–12 में राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु नई योजना आरम्भ करेंगे।

76. हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक मील पत्थर स्थापित किए हैं। अगले वर्ष से IGMC, शिमला में एक नई Cath प्रयोगशाला शुरू की जाएगी। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा को AIIMS के तर्ज़ पर विकसित करने हेतु, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ₹150 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के अधीन ₹80 करोड़ की लागत से 200 बिस्तरों की क्षमता के Super Speciality अस्पताल की आधारशिला भी रखी गई है। हम IGMC, शिमला में Cardio Thoracic and Vascular Surgery (CTVS) के अन्तर्गत Master in Cheirology (M.Ch.) तथा कार्डियोलोजी में Doctorate of Medicine (DM) के पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

77. सरकार के निरन्तर प्रयासों, जिनमें **'बेटी है अनमोल'** योजना भी शामिल है, से राज्य में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, जो अब बढ़कर 922 हो गया है। इस दिशा में भविष्य में भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

78. प्रदेश में आयुर्वेदिक उपचार प्रणाली का विस्तार किया गया है, ताकि लोग आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सा में से कोई उपचार प्रणाली चुन सकें। स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद क्षेत्र के लिए आगामी वर्ष में ₹156.42 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पर्यटन, भाषा, कला एवं संस्कृति

79. राज्य में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। वर्ष 2011–12 के दौरान हमारी प्राथमिकता पयर्टन विकास बोर्ड के माध्यम से उन परियोजनाओं को विकसित करने की होगी, जो प्रदेश की अद्वितीय संस्कृति, इतिहास, वास्तुकला तथा पर्यावरण सम्बन्धित धरोहरों से छेड़छाड़ किए बगैर, राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए हम पर्यटन विभाग की भूमिका एवं गतिविधियों को अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ जोड़ने के लिए योजना पर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार **'अविस्मरणीय हिमाचल ब्रांड'** को व्यापक रूप में प्रचारित एवं प्रोत्साहित करेगी।

80. Asian Development Bank ने प्रदेश में पर्यटन तथा इससे सम्बन्धित अधोसंरचना विकसित करने के लिए लगभग ₹428 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। परियोजना का उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास दर में सुधार लाना तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस चरण में पार्किंग स्थलों, पर्यटन सूचना केन्द्रों, कैम्पिंग साइट व ट्रैक विकसित करने, पौंग बांध में खगावलोकन (Bird Watching) टॉवर स्थापित करने तथा मसरूर

मन्दिर के जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों को शामिल किया गया है।

81. राष्ट्रीय तथा राज्य उच्च मार्गों के किनारे मूलभूत सुविधाएं (way side amenities) विकसित की जाएंगी। इसके तहत समस्त प्रदेश में पार्किंग, खान–पान स्थल, सूचना केन्द्र, गिफ्ट शॉप, शौचालय इत्यादि की सुविधाएं सृजित की जाएंगी।

82. हमारी सरकार राज्य में कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्रदेश में बहुमूल्य प्राचीन स्मारकों तथा पुरालेख संग्रहों के संरक्षण के लिए राज्य में एक पुरालेख संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। हम पहाड़ी लघुचित्र कला विद्या को प्रोत्साहित करने की दिशा में और कदम उठाएंगे।

वन एवं वन्य जीवन

83. हमारी सरकार प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा एवं पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील एवं गम्भीर है। हमारी परिकल्पना है कि, हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए राज्य में विकास की गति को निरन्तर बनाए रखा जाए।

84. प्रदेश में वानरों के उत्पात को नियंत्रित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य के टूटीकण्डी, सस्तर तथा गोपालपुर स्थित केन्द्र में जनवरी, 2011 के मध्य तक 26969 वानरों की नसबंदी की गई है। मार्च, 2011 के अंत तक लगभग 7200 और वानरों की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है। तब तक ऊना में एक अन्य केन्द्र भी कार्यशील हो जाएगा।

85. वर्ष 2011–12 में प्रदेश को 'CAMPA' के तहत ₹40 करोड़ से अधिक धनराशि आबंटन होने की सम्भावना है। हमारा यह प्रयास रहा है कि इस निधि का

सदुपयोग लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए। हम अगले वर्ष से **'कांग्रेस घास हटाओ – चारागाह बढ़ाओ'** योजना आरम्भ करेंगे जिसके अन्तर्गत, कांग्रेस घास, लेंटाना इत्यादि को प्रभावित क्षेत्रों से व्यापक स्तर पर हटाने का कार्य किया जाएगा। इससे प्रदेश भर में स्थानीय गांव वासियों तथा हज़ारों घुमंतु चरवाहों को उन्नत चरागाहें उपलब्ध होंगी। इन क्षेत्रों में बांस एवं अन्य पौधरोपण से निर्धन ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे और उन्हें अपनी आजीविका वृद्धि के अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। CAT Plan योजनाओं के तहत जल संरक्षण से गर्मियों के महीनों में अधिक जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत क्रियान्वित की जा रही 'वन सरोवर' परियोजनाएं और सुदृढ़ होंगी।

86. वन एवं वन्यजीवन क्षेत्र के लिए वर्ष 2011–12 में ₹120.08 करोड़ का परियोजना परिव्यय रखा गया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण

87. हमने **'भास्कराचार्य इन्स्टिटयूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एण्ड जिओ–इन्फॉरमेटिक्स'**, गांधी नगर, गुजरात के सहयोग से शिमला में **'आर्यभट्ट जिओ–इन्फॉरमेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर'** स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य में विकासात्मक गतिविधियों के निर्णय एवं नियोजन प्रक्रिया में आकाशीय एवं भू–आकाशीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह केन्द्र राज्य में प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित आंकड़ों की जानकारी उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त सतत् विकास में इन तकनीकों के प्रयोग के लिए **'नोडल एजैंसी'** का कार्य करेगा।

88. हमने **'सेंटर फॉर कलाईमेट चेंज'** भी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि मौसम परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों एवं अवसरों का सामना करने हेतु राज्य की क्षमता में वृद्धि की जा सके। यह केन्द्र मौसम परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कृषि, बागवानी, वन इत्यादि क्षेत्रों हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा विश्वसनीय वैज्ञानिक डाटा बेस तैयार करने के कार्य को प्रोत्साहन देगा। यह केन्द्र आपदा प्रबंधन तथा गलेशियरों से सम्बन्धित सक्रिय अनुसंधान करने के अतिरिक्त मौसम परिवर्तन के दृष्टिगत अनुकूल कार्य नीति तैयार करेगा।

89. सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की दृष्टि से सतत् विकास के लिए **₹**900 करोड़ की एक परियोजना का प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण की दृष्टि से सतत् विकास तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के लिए ज्ञान आधार को सुदृढ़ करने, बेहतर जल स्त्रोत प्रबंधन के लिए, नदी तटीय प्रबंधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने, निम्न कार्बन आर्थिकी के लिए नवीकरण व वैकल्पिक ऊर्जा साधनों के माध्यम से दक्ष ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना इत्यादि अनुसंधान कार्य प्रस्तावित हैं।

उद्योग

90. अध्यक्ष महोदय, मान्य सदन इस बात से भलि–भांति परिचित है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के उद्योगों को केन्द्रीय आबकारी शुल्क में दी गई छूट की प्रोत्साहन सुविधा को मार्च, 2010 तक सीमित कर दिया गया है। प्रदेश को प्रदान किए गए इन प्रोत्साहनों की वास्तविक अवधि को मार्च, 2013 तक पुनः बहाल करने और प्रदेश में औद्योगिक पैकेज की अवधि को वर्ष 2020 तक बढ़ाने बारे हम निरन्तर प्रयास करते रहे हैं, जिसके लिए हमने भारत सरकार से बार–बार आग्रह किया

है।

91. बद्दी में कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा ₹58 करोड़ की लागत से स्थापित किए जा रहे इनलैंड कन्टेनर डिपो (ICD) का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। भारत सरकार द्वारा बद्दी क्षेत्र में **'Common Effluent Treatment Plant'** स्थापित करने के लिए ₹80.50 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसका कार्य आरम्भ हो चुका है। बद्दी में महिला श्रमिकों के लिए ₹11 करोड़ की लागत से लेबर होस्टल तथा ₹10.81 करोड़ की लागत के ट्रेड सेंटर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राज्य में स्थापित उद्योगों को निर्बाधित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 7945 बिघा भूमि का एक Land Bank सृजित किया गया है।

रोजगार सृजन एवं श्रम कल्याण

92. प्रदेश में स्वरोज़गार के अवसरों में वृद्धि, औद्योगिक विकास को मज़बूत करना तथा जल विद्युत एवं पर्यटन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना, हमारी सरकार की नीति के मुख्य बिन्दु हैं, ताकि राज्य के युवाओं और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर मिल सकें।

93. रोज़गार के इच्छुक युवाओं की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं में रिक्त पदों की सूची को श्रम एवं रोज़गार विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। निजी क्षेत्र में Unskilled Manpower की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में साक्षात्कारों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से रोज़गार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को

70 प्रतिशत रोज़गार उपलब्ध करवाने सम्बन्धी सरकार की नीति के क्रियान्वयन का गहनता से अनुश्रवण किया जा रहा है।

गृह/कानून एवं व्यवस्था

94. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक एवं नियंत्रण में है। प्रदेश में किसी भी सुरक्षा चुनौती को प्रभावी तरीके से निपटने के लिए निरन्तर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। हमारे सुरक्षा बल जम्मू–कश्मीर की सीमा के साथ लगते चम्बा जिला में दिन–रात चौकसी बनाए हुए हैं।

95. पुलिस बल में नियमित रूप से भर्ती की जा रही है। हाल ही में छठी भारतीय रिज़र्व बटालियन के लिए 1309 आरक्षियों की भर्ती पूरी की गई है तथा 300 आरक्षियों की भर्ती आगामी कुछ महीनों में की जाएगी। आगामी वर्ष के लिए पुलिस आवास तथा थाना भवनों के लिए ₹18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने वर्ष 2011–12 में पुलिस विभाग में बेहतर संचार एवं सचलता, आधुनिक हथियारों की खरीद तथा अपराध जांच प्रयोगशालाओं में दक्षता सुधार के लिए ₹26 करोड़ की पुलिस आधुनिकीकरण योजना तैयार की है। वर्ष 2011–12 में न्यायिक अधोसंरचना के उन्नयन हेतु ₹21 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

96. अध्यक्ष महोदय, सरकार सुरक्षा बलों के उच्च मनोबल को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है। गृह रक्षकों के दैनिक रैंक भत्ते को पिछले 22 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। हमने कम्पनी कमांडर, सीनियर पलाटून कमांडर, हवालदार तथा सैक्शन लीडर के दैनिक रैंक भत्ते को क्रमशः ₹5 से ₹25, ₹4 से ₹20, ₹3 से ₹15 तथा ₹2.5 से ₹10 करने का निर्णय लिया है।

97. नागरिक सुरक्षा वालंटियरों की क्षमता उन्नयन के लिए हम शिमला के समीप एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

98. हम स्वच्छ एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं तथा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। मादक द्रव्यों की तस्करी मामलों सहित अन्य अपराधों में संलिप्त दोषियों की सजा दर में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राजस्व प्रशासन/ पुनर्वास

99. हमारी सरकार ने वर्तमान में प्रचलित नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के स्थान पर e-Stamping प्रणाली क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में इसे शिमला तथा सोलन जिलों के चिन्हित उप पंजीयक कार्यालयों में आरम्भ किया जाएगा। इस परियोजना के लिए Stock Holding Corporation of India Ltd. रिकार्ड रखरखाव एजैंसी होगी।

100. प्रदेश के सिरमौर, मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में चरणबद्ध रूप से नवीनतम Electronic Total Station तथा Global Positioning System तकनीक अपनाकर सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य किया जाना प्रस्तावित है। आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इस कार्य को शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

101. सिरमौर तथा चम्बा जिलों में Cadastral Map Digitization का कार्य लगभग पूरा होने को है तथा उपलब्ध मुसावियों का शत–प्रतिशत स्कैंनिंग कार्य पूरा कर लिया गया है और मुसावी एवं Record of Rights के एकीकृत डिजीटाइज़ेशन

का कार्य प्रगति पर है। अब मण्डी तथा हमीरपुर जिला में डिजीटाइज़ेशन का कार्य आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

शहरी विकास

102. राज्य सरकार स्थानीय शहरी निकायों को शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने हेतु सुदृढ़ करने तथा इनमें अधिक जन–भागीदारी, विशेषकर महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए सीधे चुनाव करवाए गए हैं।

103. नियोजन कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर इन्हें स्थानीय निकायों को प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार वर्तमान नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में कार्यरत है। मौजूदा वास्तविकताओं के दृष्टिगत, नियमन प्रणाली को सरल बनाने तथा नक्शों की स्वीकृति प्रदान करने वाले अनेकों प्राधिकरणों के युक्तिकरण की आवश्यकता है। तदानुसार, नियमन प्रणाली के युक्तिकरण सहित भवनों के नक्शे एवं निर्माण योजना की स्वीकृति का कार्य TCP विभाग से नगर निगम, शिमला में **'Single Umbrella Committee'** को सौंपने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे शहरी अभिशासन एवं नियोजन जनता के करीब आएंगे तथा आम आदमी को राहत मिलेगी। नियमन प्रणाली के युक्तिकरण का विस्तार, शीघ्र ही, प्रदेश के सभी स्थानीय शहरी निकायों में किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

104. हम, सूचना प्रौद्योगिकी को, सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए साधन के रूप में उपयोग में लाने के प्रति वचनबद्ध है। लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा नियंत्रक भण्डारण विभागों में खरीद एवं

निविदा प्रक्रिया के लिए **e-Procurement** प्रणाली स्थापित की जा रही है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी शुल्कों एवं भुगतानों की ऑन–लाईन अदायगी की सुविधा के लिए, एक **State e-Payment Gateway** पोर्टल विकसित किया जा रहा है। आबकारी एवं काराधान विभाग में कर दाताओं के लिए यह सुविधा इस वर्ष में पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया को भी कम्पयूटरीकृत किया जा रहा है।

105. किसानों को फसलों के प्रबंधन के बारे में विशेषज्ञ सूचना प्रदान करने के लिए एग्रिसनेट (AGRISNET) पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में ऑन–लाईन विशेषज्ञ सुझाव प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 77 खण्ड विकास कार्यालयों को विडियो कान्फ्रैंस की सुविधा से जोड़ा जा रहा है।

106. प्रदेश के पांच जिलों हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू तथा मण्डी में Unique Identification Authority of India के सहयोग से नागरिकों को यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान करने की परियोजना शुरू की गई है। जून 2012 तक प्रदेश के दूर–दराज़ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित समस्त आबादी को परियोजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के उचित चयन में अत्याधिक लाभदायक सिद्ध होगी।

युवा मामले एवं खेल

107. प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट खेल अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। ऊना में एस्ट्रोटर्फ हॉकी कोर्ट बनाया जाएगा। सभी इनडोर स्टेडियमों में टेराफलेक्स

वालीबाल, होवा बेडमिंटन कोर्ट तथा जूडोमैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर पंचायत में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान बनाए जाएंगे, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। भूमि की उपलब्धता के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से इनडोर स्टेडियमों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिमला में आईस–स्केटिंग सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में, विशेष रूप से दूर–दराज एवं जनजातीय क्षेत्रों में, विभिन्न साहसिक खेलों जैसे रिवर राफटिंग, पैराग्लाइडिंग तथा अन्य साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

सैनिक कल्याण

108. भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं शौर्य पुरस्कार विजेताओं का कल्याण हमेशा ही हमारी प्राथमिकता रही है। हम धर्मशाला में कम्पोज़िट (Composite) सैनिक कल्याण भवन का निर्माण करेंगे। हमने भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश में सी.एस.डी. डिपो स्थापित करने का आग्रह किया है।

109. वर्तमान में डोगरा रेजीमेंट का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में स्थित है। इस रेजीमेंट केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के लाभ उठाने में हिमाचल के डोगरा रेजीमेंट के भूतपूर्व सैनिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने रक्षा मंत्रालय से डोगरा रेजीमेंट केन्द्र को फैज़ाबाद से हिमाचल प्रदेश में किसी भी उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने का मामला उठाया है।

110. हमारी सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। हमारी सरकार सशस्त्र बलों

में हिमाचल प्रदेश के लिए भर्ती कोटे को बढ़ाने का मामला भारत सरकार के साथ लगातार उठाती रही है।

कर्मचारी एवं नागरिक सेवा पैंशनर्ज़ कल्याण

111. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अपने कर्मचारियों एवं पैंशनरों की बेहतरी एवं कल्याण के लिए वचनबद्ध है। पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने से पहले ही, हमने, वेतन व पैंशन में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत अपने कर्मचारियों व पैंशनरों को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत जारी कर दी थी। पूर्व सरकार ने अंतरिम राहत जारी करने के लिए ऐसे कोई प्रयास नहीं किए थे। हमारी सरकार द्वारा 20 प्रतिशत अंतरिम राहत जारी करने के कारण वेतन व पैंशन की बकाया राशि में से ₹1140 करोड़ का पहले ही भुगतान कर दिया गया था।

112. पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन व पैंशन को संशोधित करने के उपरान्त, हमने अभी तक वेतन बकाया राशि के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को ₹20,000 तथा पैंशनरों को 20 प्रतिशत बकाया राशि जारी कर दी है। इस पर लगभग ₹525 करोड़ व्यय हुए हैं। मुद्रास्फीति के उच्च दर के परिणामस्वरूप, सरकार को इस वर्ष 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना पड़ा है, जिस पर इस वर्ष लगभग ₹1000 करोड़ व्यय होंगे। यदि यह मुद्रास्फीति सामान्य स्तर पर रही होती, तो इस राशि में से एक मुख्य हिस्सा वेतन व पैंशन की बकाया राशि के भुगतान में प्रयोग किया जा सकता था।

113. मैं, बकाया राशि के भुगतान में हुए विलम्ब के कारण, कर्मचारियों व पैंशनरों की मनोव्यथा को भलि–भांति समझता हूं। 5 मार्च, 2011 को आयोजित जे.सी.सी. की बैठक में भी कर्मचारियों ने पाचवें वेतन आयोग की बकाया राशि जारी करने

सहित, अन्य सभी लम्बित मामले एक बार फिर सरकार से उठाए। मैं, सरकार के साथ सहयोग करने तथा 13वें वित्तायोग द्वारा अपर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हमारी समस्याओं को समझने के लिए कर्मचारियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

114. हम, इस बात को समझते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बकाया राशि की अपेक्षाकृत अधिक जरूरत है। मैं, तदानुसार, घोषणा करता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शत–प्रतिशत बकाया राशि इसी माह जारी कर दी जाएगी। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक जारी की गई ₹20,000 की राशि को मिलाकर, कुल एरियर का 40 प्रतिशत भाग इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। इसी तर्ज़ पर अधिकारियों को कुल एरियर के 30 प्रतिशत भाग का भुगतान किया जाएगा। समस्त पैंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त बकाया राशि इसी महीने जारी की जाएगी, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 40 प्रतिशत एरियर प्राप्त होगा। इस बकाया राशि की अदायगी पर ₹550 करोड़ व्यय होंगे। जिन कर्मचारियों व पैंशनरों का दुखद निधन हो गया है, उनकी समस्त बकाया राशि को उनके कानूनी वारिसों को एक मुश्त में, एक महीने के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा।

115. अनुबंध कर्मचारियों एवं दिहाड़ीदार कर्मचारियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीति के अनुरूप नियमित किया जा रहा है। अगले वर्ष जिन अनुबंध कर्मचारियों एवं दिहाड़ीदारों ने 31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया होगा, उन्हें नियमानुसार नियमित किया जाएगा।

116. सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से लिपिकों के 800 पद भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। इसी प्रणाली के माध्यम से लिपिकों के 800 और पद शीघ्र भरे जाएंगे। इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर सृजित करने के अतिरिक्त सरकार के पास उपलब्ध श्रमशक्ति के बेहतर उपयोग में भी सहायता मिलेगी।

117. अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए, जिला व जिला स्तर से नीचे, आवासीय सुविधा के सम्वर्धन तथा रखरखाव करने की आवश्यकता है। आगामी वर्ष में इसके लिए ₹10 करोड़ का आबंटन किया गया है। इसमें से ₹8 करोड़ आवासीय सुविधा के सम्वर्धन तथा ₹2 करोड़ भवनों के रखरखाव पर व्यय किए जाएंगे। प्रारम्भ में नए निर्माण कार्य को कांगड़ा जिला के धर्मशाला में प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया जाएगा। हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन पर विचार करेगी।

प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण

118. नागरिकों को कुछ मुख्य नागरिक सेवाऐं निर्धारित समयावधि के भीतर सुनिश्चित करने के लिए हमने '**हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवाऐं अधिनियम**' लाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। ऑफिस मैनुअल को भी अपडेट किया जाएगा, ताकि इसे समकालीन प्रक्रिया के अनुरूप बनाकर आधुनिक तकनीक प्रणाली का यथासम्भव उपयोग किया जा सके।

आबकारी एवं कराधान

119. प्रदेश का अधिकांश कर राजस्व आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। कर आधार को व्यापक बनाते समय हमारा यह निरन्तर

प्रयास रहेगा कि विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए तथा कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाई जाए। विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग करेगा, Tax Evasion तथा Leakage पर अंकुश लगाने के प्रयास जारी रहेंगे तथा अन्तर्राज्यीय पड़ताल चौकियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी व्यापारियों को ई–रिटर्न व ई–पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अन्य राज्यों से सामग्री आयात करने वाले सभी व्यापारियों व उद्यमियों को ई–डेक्लेरेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि पड़ताल चौकियों पर प्रवेश को सुचारू तथा समय कुशल बनाया जा सके।

बजट अनुमान

120. अध्यक्ष महोदय, अब मैं मैक्रो (Macro) बजट अनुमानों पर आता हूं। FRBM अधिनियम के आवश्यकता अनुरूप मैं वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर रहा हूं।

121. वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति ₹14093.51 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ₹14042.46 करोड़ अनुमानित हैं, जिससे राजस्व खाते में ₹51.05 करोड़ का अधिशेष रह जाएगा। सरकार के पूंजी खाते में कुल ₹2076.82 करोड़ की प्राप्तियां सम्भावित हैं तथा ऋण की अदायगी सहित कुल पूंजी व्यय के ₹2666.01 करोड़ रहने की सम्भावना है। वर्ष 2011–12 के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.70 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

122. वर्ष 2011–12 के लिए कुल ₹16708.47 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ₹5881.66 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ₹2150.58

करोड़, ऋणों की अदायगी पर ₹960.84 करोड़ तथा पैंशन पर ₹2210 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

123. बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ₹100 व्यय के मुकाबले, प्रदेश की आय तथा केन्द्र से प्राप्त धनराशि सहित कुल राजस्व आय ₹84.35 होगी। ₹15.65 के इस अन्तर को ऋण द्वारा पूरा करना होगा। प्रदेश के राजस्व आय के प्रति ₹100 में से ₹28.67 के कर राजस्व, ₹14.15 गैर कर राजस्व, ₹14.62 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ₹42.56 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ₹100 में से, वेतन पर ₹35.20, ब्याज अदायगी पर ₹12.87, ऋण अदायगी पर ₹5.75, पैंशन पर ₹13.23 व्यय होंगे, जबकि शेष ₹32.95 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाऐंगे।

निष्कर्ष

124. अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। अब मैं बजट की मुख्य विशेषताओं तथा हमारी सरकार की उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करना चाहूंगा :

- **हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए।**
- **वर्ष 2010–11 की राष्ट्रीय जी.डी.पी. 8.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के मुकाबले, प्रदेश के जी.एस.डी.पी. में 9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित।**
- **वर्ष 2011–12 के लिए कुल बजट ₹16708.47 करोड़ प्रस्तावित।**
- **वर्ष 2011–12 के लिए ₹3300 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित।**
- **आगामी वर्ष के लिए राज्य का वित्तीय घाटा जी.एस.डी.पी का 2.7 प्रतिशत अनुमानित।**

- वर्ष 2011–12 में राजस्व अधिशेष रहना अनुमानित।
- खाद्यान्न मुद्रास्फीति से राहत दिलाने के लिए दालों, खाद्य तेलों व नमक पर राज्य उपदान जारी रहेगा।
- वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में ऊर्जा, सड़क, पर्यटन जैसे अधोसंरचना क्षेत्रों तथा बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता।
- 'पंडित दीन दयाल किसान–बागवान समृद्धि' योजना, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर केन्द्रित रहेगी।
- वर्ष 2011–12 में ₹321 करोड़ रूपये लागत की 'कृषि विविधता प्रोत्साहन योजना' आरम्भ की जाएगी।
- वर्ष 2011–12 में जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी स्थापित की जाएगी।
- अगले वर्ष में 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को 'सेब पुनर्रोपण परियोजना' के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- पराला, शिमला में सेब तथा सब्जियों की थोक बिक्री मण्डी स्थापित की जाएगी। निचले क्षेत्रों में नींबू प्रजाति के फलों के लिए थोक बिक्री मण्डी स्थापित की जाएगी। आवश्यकता अनुसार उप मार्किट यार्ड एवं प्रापण केन्द्रों को विकसित किया जाएगा।
- डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा नेरी, हमीरपुर में, अगले वर्ष, 'जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विज्ञान संस्थान' आरम्भ किया जाएगा।
- 'मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना' सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। चरणबद्ध रूप से प्रत्येक पंचायत में पशु औषधालय खोले जाएंगे।
- पालमपुर में 'भ्रूण हस्तांतरण तकनीक प्रयोगशाला' तथा 'उन्नत बहुविधीय पशु चिकित्सा सेवाएं एवं कृषक क्षमता निर्माण केन्द्र' की स्थापना की जाएगी।
- जलागम विकास कार्यों के लिए सभी जिलों में बहुविधा परियोजना

कार्यान्वयन एजैंसी स्थापित की जाएगी।

- लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹180.65 करोड़ रूपये तथा वृह्द एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹109.97 करोड़ रूपये का आबंटन प्रस्तावित।
- बल्ह घाटी (लेफ्ट बैंक) परियोजना मार्च, 2012 तक पूरी की जाएगी।
- चंगर क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य मार्च, 2011 के अंत तक पूरा होगा।
- शाह नहर परियोजना मार्च, 2012 तथा सिद्धाता परियोजना जून, 2012 तक पूरी कर ली जाएंगी।
- स्वां तटीयकरण चरण–II के कार्य को मार्च, 2012 तक पूरा किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए ₹99.54 करोड़ का प्रावधान।
- 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' तथा 'महिला किसान सशक्तिकरण' परियोजना वर्ष 2011–12 में आरम्भ की जाएगी।
- 'अटल आवास योजना' व 'इंदिरा आवास योजना' के अन्तर्गत ग्रामीण आवास निर्माण के लिए ₹17.94 करोड़ आबंटित।
- मार्च, 2011 तक राज्य को बाह्य शौच मुक्त बनाया जाएगा।
- प्रथम अप्रैल, 2011 से आठ वर्ष से कम अवधि के सूचीबद्ध तकनीकी सहायकों की न्यूनतम मासिक राशि ₹2500 से बढ़ाकर ₹4000 और आठ वर्ष से अधिक अवधि के सूचीबद्ध तकनीकी सहायकों की न्यूनतम मासिक राशि बढ़ाकर ₹5000 की जाएगी।
- सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2011 से वृद्धि कर इसे ₹1400 मासिक किया जाएगा।
- ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट में ₹107.23 करोड़ की वृद्धि। आगामी वर्ष हेतु ₹461.60 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2011–12 में 2106 मैगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की सम्भावना।

- सड़कों एवं पुलों के लिए योजना आबंटन में ₹73.68 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2011–12 में ₹603.68 करोड़ प्रस्तावित।
- अगले वर्ष 450 कि0मी0 मोटर योग्य सड़कों तथा 32 पुलों का निर्माण।
- प्लास्टिक कचरे के उपयोग से पर्यावरण मित्र सड़कों के निर्माण पर बल। वर्ष 2011–12 में इसके उपयोग से 150 कि.मी. सड़कों को पक्का किया जाएगा।
- वर्ष 2011–12 में 170 चिन्हित दुर्घटना सम्भावित सड़क स्थलों के सुधार पर ₹31.25 करोड़ खर्च होंगे।
- पेयजल व मल निकासी हेतु अगले वर्ष ₹224.50 करोड़ का आबंटन।
- प्रदेश सरकार समस्त परिवारों को चरणबद्ध रूप से पाइप लाईन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध। आगामी वर्ष में 2500 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।
- वर्ष 2011–12 में 2500 हैंडपम्प लगाने का प्रस्ताव।
- जलापूर्ति योजनाओं व हैंडपम्पों के रख रखाव एवं प्रबंधन में पंचायतों की अधिक भागीदारी। पंचायतों द्वारा इस कार्य के लिए जल रक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
- आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति उप योजना के आकार को बढ़ाकर ₹816 करोड़ तथा जनजातीय उप योजना को बढ़ाकर ₹297 करोड़ किया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत 25000 अतिरिक्त पात्र आवेदकों को पैंशन सुविधा प्रदान करने का प्रावधान।
- 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की आबादी वाले गांवों में अधोसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए 'मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम' योजना आरम्भ की जाएगी।
- अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. महिलाओं को 'माता शबरी महिला सशक्तिकरण' योजना के अन्तर्गत गैस कनैक्शन व चूल्हों की खरीद

पर 50 प्रतिशत का उपदान।

- सोलन, कांगड़ा, कुल्लू व चम्बा जिलों में पायलट आधार पर 'सबला' योजना क्रियान्वित की जाएगी।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए परिव्यय में ₹597.54 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2011–12 में ₹3164.54 करोड़ प्रस्तावित।
- विद्यार्थियों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने के दृष्टिगत 'प्रोत्साहन छात्रवृति'।
- जल वाहकों का मानदेय ₹1000 से बढ़ाकर ₹1200 मासिक किया गया।
- 31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले विद्या उपासकों को नियमित किया जाएगा।
- वर्ष 2011–12 में 5000 नये स्नात्तकोतर अध्यापकों **(PGT),** स्नात्तक अध्यापकों **(TGT)** तथा **C &V** अध्यापकों की भर्ती की जाएगी।
- अनुबंध अध्यापकों, प्राथमिक सहायक अध्यापकों, ग्रामीण विद्या उपासकों तथा पैरा अध्यापकों को 52 दिन की वार्षिक अवकाश अवधि का वेतन मिलेगा। इससे 12385 अध्यापकों को लगभग ₹25 करोड़ का वार्षिक वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।
- प्रगति नगर, शिमला में 'अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान' की स्थापना की जाएगी।
- विद्यालयों के रख–रखाव पर विशेष बल।
- स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद के लिए ₹156.42 करोड़ का योजना आबंटन।
- 'अटल स्वास्थ्य सेवा' का अगले वर्ष से पूरे प्रदेश में विस्तार।
- अगले वर्ष से नवजात शिशुओं को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'अविस्मरणीय हिमाचल ब्रान्ड' को व्यापक रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।

- एशियन डवैल्पमैंट बैंक की सहायता से पर्यटन सम्बन्धित अधोसंरचना विकसित करने पर आगामी वर्षों में ₹428 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- राज्य के सभी उच्च मार्गों के किनारे मूलभूत सुविधाएं सृजित की जाएंगी।
- आगामी वर्ष के लिए वन व वन्य जीवन हेतु ₹120.08 करोड़ का योजना आबंटन।
- कांग्रेस घास, लेंटाना इत्यादि को प्रभावित क्षेत्रों से व्यापक स्तर पर हटाने के लिए 'कांग्रेस घास हटाओ – चारागाह बढ़ाओ' योजना।
- शिमला में 'आर्यभट्ट जिओ–इन्फॉरमेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर' स्थापित किया जाएगा।
- मौसम परिवर्तन के दृष्टिगत अनकूल कार्य निति तैयार करने के लिए 'सैन्टर फार क्लाईमेट चेंज' स्थापित किया जाएगा।
- विश्व बैंक के माध्यम से ₹900 करोड़ की पर्यावरण परियोजना आगामी वर्षों में क्रियान्वित होगी।
- बद्दी क्षेत्र में **Common Effluent Treatment Plant** के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।
- अगले वर्ष पुलिस आधुनिकीकरण हेतु ₹26 करोड़ की योजना।
- होम गार्ड के कम्पनी कमाण्डर, सीनियर पलाटून कमाण्डर, हवालदार तथा सैक्शन लीडर के रैंक भत्ते को बढ़ाया।
- राजस्व प्रशासन का आधुनिकीकरण मुख्य प्राथमिकता रहेगी।
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शत–प्रतिशत एरियर भुगतान।
- तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को एरियर का 40 प्रतिशत तथा अधिकारियों को 30 प्रतिशत भुगतान।
- समस्त पैंशनरों को 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान।
- 31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों एवं दिहाड़ीदारों को अगले वर्ष नियमानुसार नियमित किया

जाएगा।

- **सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से लिपिकों के 1600 पद भरे जाएंगे।**
- **अगले वर्ष में अराजपत्रित कर्मचारियों की आवास सुविधा में सुधार लाने के लिए ₹10 करोड़ आबंटित।**

125. अध्यक्ष महोदय, मैंने, राज्य के समावेशी विकास की तीव्र गति की हमारी परिकल्पना सहित, प्रदेश द्वारा अर्जित विविध उपलब्धियों का वर्णन किया है। हमारा प्रयास विकास प्रक्रिया के लाभों को आम आदमी तक पहुंचाना है। 13वें वित्तायोग की प्रतिकूल सिफारिशों तथा वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, हमने विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन कर प्रदेश में व्यापक विकास सुनिश्चित किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास के अनेक क्षेत्रों में हमारी सरकार की अनेकों उपलब्धियां, लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाती है। हम न केवल प्रदेश के समग्र विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे, अपितु विकास की गति को और भी तेज़ करेंगे।

126. हम जन–भागीदारी को सुनिश्चित बना कर लोगों को स्वच्छ प्रशासन तथा सुशासन उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारी मूल धारणा राज्य में पर्यावरण मित्र सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की रही है।

127. इस बजट को हिमाचल के लोगों की सेवा के प्रति हमारे संकल्प के रूप में देखा जाए। मैं इस बजट को, प्रदेश के लोगों को समर्पित करता हूं तथा हर नागरिक से **'हिमाचल सबसे ऊपर'** के निर्माण में सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

128. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को मान्य सदन को संस्तुत करता हूं।

जय हिन्द।
जय हिमाचल।

***